जा0दी0 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में विपक्षी नं0 03 के रूप में ठाकुर जी रूप जी महाराज स्थान देह खुद काश्त जरिये पुजारी विश्वबंधु पाठक पिता विजय नारायण पाठक निवासी शाहपुरा का पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है क्योंकि आराजी नम्बर 4601 रकबा 0.58 है0 भूमि प्रार्थी रास्ते के रूप में चाहता है उस रास्ते में उक्त पक्षकार की कृषि भूमि स्थापित है इस हेतु उक्त प्रकरण में विश्व बंधु पाठक को आवश्यक पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है ताकि उसके हित प्रभावित नहीं हो सके। उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 एवं 151 जा0दी0 पर पेरोकार सरकार द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। अतः प्रार्थन पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 एवं 151 जा0दी0 स्वीकार किया गया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा उक्त पक्षकार ठाकुर जी रूप जी महाराज स्थान देह खुद काश्त जरिये पुजारी विश्वबंधु पाठक पिता विजय नारायण पाठक निवासी शाहपुरा की तलबी हेतु प्रोसेस सम्मन पेश किया गया जिससे तलबी की जाकर पेशी दिनांक 16.10.2017 नियत की गयी। दिनांक 16.10.2017 को विश्वबंधु की ओर अधिवक्ता श्री तेजप्रकाश पठाक ने अण्डर टेकिंग ली गयी। दिनांक 08.01.2018 को विश्वबंधु की ओर से अधिवक्ता श्री त्रिलोकचंद नोलखा ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 28.08.2018 को अभिभाषक प्रार्थी द्वारा संशोधन उनवान पेश किया गया। विपक्षी नं0 3 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से दिनांक 28.09.2020 को विपक्षी 03 का जवाब बंद किया गया। दिनांक 28.09.2020 को तहसीलदार शाहपुरा से पुनः संशोधित मौका रिपोर्ट मंगवाई जाने से प्राप्त हुई। दिनांक 14.10.2020 को अभिभाषक उभय पक्ष की बहसी सुनी गयी। बहस में अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बताया गया कि मौका पर्चा अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे प्रार्थी डीएलसी अनुसार रास्ते हेतु भूमि की कीमत जमा कराने हेतु तैयार है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बताया कि प्रार्थी स्वयं भी बहस करना चाहता है। जिससे प्रार्थी स्वयं को सुना गया। प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। मौका रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा अनुसार खसरा नम्बर 4626 के खातेदार गीता पत्नी नारायण गुर्जर सादेह, 4580 के खातेदार कृष्णचन्द पिता कैलाशचन्द पाठक सादेह भी रास्ते से प्रभावित होगें जिनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। बहस पर मनन एवं प्रकरण का भलिभांति अवलोकन किया गया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा आराजी नम्बर 4626, 4580 के खातेदारान जिनकी भूमि रास्ते से प्रभावित होगी किन्तु खातेदारान का पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि उनका हित प्रभावित होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि प्रकरण में खातेदारान आवश्यक पक्षकार होते हुए भी इन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझता हूं :–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 मौजा शाहपुरा में स्थित आराजी नम्बर 4626, 4580 के काश्तकारों का हित रास्ता दिये जाने पर प्रभावित होते हुए भी उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः आवश्यक पक्षकार के अभाव में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 23.10.2020 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(शिल्पा सिंह)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)